गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छ.ग.

प्रेस–विज्ञप्ति **दिनांक : 07 अप्रैल, 2011**

बिलासपुरः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पिछले दिनों उपकुलसचिव संवर्ग में तीन पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया में आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। उक्त भर्ती में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दिनांक 02.04.2011 को हुई बैठक में उक्त भर्ती में आरक्षण रोस्टर की अवहेलना के संबंध में सवाल उठाये गये थे।

इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन का वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए कहना है कि कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रसारित कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 36012/2/96–स्था.(रजि.) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 02जुलाई, 1997 में उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.के.सबरवाल विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरण में निर्देशित पद आधारित आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। इस कार्यालयीय ज्ञाप में उल्लेखित मॉडल रोस्टर के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले किसी संवर्ग के प्रथम तीन पद अनारक्षित श्रेणी में सभी वर्गों हेतु चयन के लिए खुले हुए हैं।

विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव संवर्ग में अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधे चयन हेतु 03 पद उपलब्ध थे, जो उक्त आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनारक्षित बिंदुओं पर आते हैं अर्थात् उक्त पद सभी वर्गों के लिए भर्ती हेतु पूर्णतः खुले थे।

उक्त पदों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही विज्ञापित किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालयीय ज्ञाप एवं इस पर आधारित मॉडल रोस्टर को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.07.2009 में अंगीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित मार्गदर्शिका में भी आर.के.सबरवाल विरूद्ध पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1995 एस.सी.1371) का संदर्भ देते हुए संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के अनुसार आरक्षण रोस्टर को प्रभावशील किये जाने का उल्लेख है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ–1–8/2006(एस.सी.टी.) नई दिल्ली दिनांक 19.02.2008 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित मार्गदर्शिका को भी दिनांक 13.07.2009 की कार्यपरिषद की बैठक की कार्यसूची के विषय क्रमांक 7 के अन्तर्गत संलग्न कर रखा गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय विज्ञापन दिनांक 17.06.2009 जिसमें तत्समय उपकुलसचिव के विज्ञापित पद अनारक्षित श्रेणी में ही अंकित किये गये थे। इसे भी कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13. 07.2009 में रखा गया था।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.07.2009 में अंगीकृत किये गये मॉडल आरक्षण रोस्टर के संबंध में दिनांक 13.07.2009 से दिनांक 01.04.2011 तक मॉडल आरक्षण रोस्टर के संबंध में एवं उसके आधार पर विज्ञापित पदों में आरक्षण के संबंध में कार्यपरिषद के किसी भी सम्मानीय सदस्य ने कोई भी आपत्ति लिखित या मौखिक रूप से विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं की है।

यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने सहायक कुलसचिव के 03 पदों की भर्ती की प्रक्रिया में उन्हीं नियमों एवं प्रावधानों का प्रयोग करते हुए मॉडल रोस्टर के अनुसार ही सहायक कुलसचिव के 03 पदों को सीधी भर्ती से भरा था। कार्यपरिषद के जिन सम्माननीय सदस्यों ने उपकुलसचिव के 03 पदों पर हुई भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण की अवहेलना के आरोप उठाये हैं, कार्यपरिषद के वही 03 सम्मानीय सदस्य सहायक कुलसचिव की भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित रहे हैं तथा जिन नियमों, प्रावधानों एवं रोस्टर का प्रयोग उपकुलसचिव के पदों की भर्ती में किया गया है, उन्हीं नियमों/प्रावधानों एवं रोस्टर का प्रयोग सहायक कुलसचिव की भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया में किया गया है तथा इस चयन प्रक्रिया के पूर्व, दौरान एवं उपरांत कभी भी किसी भी स्तर पर उक्त सम्माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों ने सहायक कुलसचिव भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों की अवहेलना के संबंध में कोई भी लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की थी।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.04.2011 के विषय क्रमांक–12 के अंतर्गत उक्त आरोपों पर चर्चा के दौरान भी कार्यपरिषद के अध्यक्ष ने उक्त बिंदु पर कार्यपरिषद के सम्माननीय सदस्यों को जानकारी दी है तथा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालयीय ज्ञाप दिनांक 02.07.97 एवं उससे संलग्न मॉडल रोस्टर तथा इस संबंध में स्वामी पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक को भी कार्यपरिषद की बैठक के दौरान सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों के प्रकाश में आरक्षण रोस्टर की अवहेलना का आरोप उठाया जाना उचित नहीं है। आरक्षण रोस्टर के संबंध में जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं वह निराधार है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन इस संबंध में उठाये गये समस्त आरोपों का पूर्णतयः खण्डन करता है।

मीडिया प्रभारी